प्रौढ़ शिक्षा कल, आज और कल

नीलू दुबे*
राजीव पंड्या**

शिक्षा जीवनपर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है, कर्तव्यों का ज्ञान कराती है एवं उसके विचारों एवं व्यवहार में समाजोपयोगी परिवर्तन लाती है। विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा समाज के समस्त मानव संसाधनों का समुचित सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2 अक्तूबर, 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस लेख में प्रौढ़ शिक्षा में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर एवं स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयासों का उल्लेख प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों को भी बताया गया है। इस लेख में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के बिंदु 21 में दिए गए प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखने के विशेष प्रावधानों को शामिल किया गया है। साथ ही, इस नीति के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के कम अवधि के छमाही या एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेस संचालित करने का सुझाव दिया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत को सुनियोजित ढंग से विकसित करने के लिए सरकारों द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कई प्रयास किए गए, जिनमें शिक्षा का क्षेत्र भी शामिल था, क्योंकि देश को साक्षर एवं शिक्षित करके ही समृद्ध एवं सशक्त बनाया जा सकता है, जिसमें प्रौढ़ों की निरक्षरता एक महत्वपूर्ण समस्या थी। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा की नींव रखी। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी औपचारिक शिक्षा का अवसर गवाँ दिया। लेकिन अब वे प्रौढ़ आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा या इसी तरह की अन्य शिक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं। अत: ऐसे लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा का द्वितीय अवसर प्रदान करती है। सामान्यतः प्रौढ़ शिक्षा की कोई प्रामाणिक परिभाषा नहीं है, किंतु 1950 में सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा पर हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रौढ़ शिक्षा को 'प्रौढ़ों की विविध क्षेत्रों में आवश्यकता एवं अभिलाषा को संतुष्ट करना' बताया था। महात्मा गांधी ने प्रौढ़ शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा था कि, "यह जीवन के लिए जीवन के द्वारा जीवनभर चलने वाली शिक्षा है।"

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1948 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड (सी.ए.बी.ई.)

* *विद्यार्थी-अध्यापक*, एम. एड., शासकीय स्नातकोत्तर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश 456001
** *प्राध्यापक*, शासकीय स्नातकोत्तर अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश 456001

not to be republished © NCERT

का गठन किया, जिसने प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक समिति बनाई। इस समिति ने प्रौढ़ शिक्षा के विषयों और नीतियों में परिवर्तन लाने की अनुशंसा की और कहा कि निरक्षरता को मिटाना ही प्रौढ़ शिक्षा न हो, अपितु इसमें नागरिकता की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं हस्तकला की शिक्षा भी समाहित की जानी चाहिए। आगे चलकर विभिन्न शिक्षा आयोगों, जैसे— विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग तथा *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986* एवं *1992* में प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। इस लेख में वर्तमान समय में देश में प्रौढ़ शिक्षा का राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के द्वारा क्रियान्वयन और प्रौढ़ शिक्षा के लिए देश में किए जा रहे विभिन्न कार्य, जैसे— राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा नीति, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एवं साक्षर भारत मिशन का भी उल्लेख किया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी प्रौढ़ शिक्षा को बुनियादी साक्षरता प्राप्त करने और जीविकोपार्जन के अवसर को प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार माना है, जिसका क्रियान्वयन ज़रूरी है। प्रौढ़ शिक्षा के क्रियान्वयन की कड़ी मे भविष्य में इसे कौशल विकास से जोड़कर विभिन्न डिप्लोमा कोर्स एवं स्कूल शिक्षा के माध्यम से जीविकोपार्जन एवं समाजोपयोगी बनाने हेतु सुझाव दिए गए हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात प्रौढ़ शिक्षा के लिए किए गए प्रयास

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) ने सुझाव दिया था कि व्यक्तिगत रोजगार क्षमता को बढ़ाने, कुशल मानव शक्ति की माँग तथा उपलब्धि में असंतुलन को कम करने के लिए एवं अपनी रुचि के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण करना बहुत आवश्यक है। साथ ही, बेरोजगारी समाप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा को संपूर्ण जनता के लिए अनिवार्य करना चाहिए।

शिक्षा आयोग (1964) ने प्रौढ़ शिक्षा के तीन पक्ष बताएँ हैं —

- प्रौढ़ शिक्षा रोजगारमूलक हो इसके द्वारा व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अभिरुचियाँ पैदा हों। व्यक्ति को नए कौशल एवं सूचनाएँ प्राप्त हों ताकि वे अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकें।
- प्रौढ़ शिक्षा व्यक्ति के मन में राष्ट्रभक्ति पैदा करे ताकि वे राष्ट्र के विकास में समस्याओं को सुलझाते हुए सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सचेत हों।
- प्रौढ़ शिक्षा लोगों में पढ़ने-लिखने और गणित की ऐसी कुशलता उत्पन्न करे कि व्यक्ति अन्य साधनों से अपनी शिक्षा पूर्ण कर सके। इसमें विश्वविद्यालयों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए किए गए प्रावधान इस प्रकार हैं—

- शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्ति हेतु प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू किया जाए।
- विश्वविद्यालयों में विस्तार सेवा केंद्रों की स्थापना की जाए, जिसमें अध्यापक तथा विद्यार्थी मिलकर प्रशिक्षण के माध्यम से साक्षरता आंदोलन में भाग ले सकें।
- जगह-जगह सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएँ और आकाशवाणी के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रसारित किए जाएँ।

© NCERT not to be republished

- प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा भारतीय समाज का आधुनिकीकरण किया जाए अर्थात् जनता में अपनी संस्कृति की सुरक्षा के साथ वैज्ञानिक सोच भी उत्पन्न हो एवं वर्तमान तकनीकी का उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने में हो।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (1978) शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 15 से 35 वर्ष आयु समूह के लोगों को शिक्षा का द्वितीय अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर 1978 को प्रारंभ किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग 4 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि 'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात् शिक्षा वह है जो अज्ञान और दमन से मुक्ति दिलाए। शिक्षा की इसी परिकल्पना के तहत हर व्यक्ति को पढ़ना-लिखना आना ही चाहिए, क्योंकि आज के युग में यही सीखने का मुख्य माध्यम है, इसीलिए साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा महत्वपूर्ण है। बिंदु 4.11 के अनुसार कुशलता को बढ़ाना अहम मुद्दा है ताकि समाज की आवश्यकता अनुरूप जनशक्ति को तैयार किया जा सके। अतः प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय लक्ष्यों में निर्धनता उन्मूलन, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण एवं आदर्श परिवार शामिल हैं। सांस्कृतिक सृजनशीलता का संवर्धन एवं महिलाओं की समानता को भी प्रौढ़ शिक्षा में शामिल किया जाएगा एवं प्रौढ़ शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रमों को पुनरावलोकन कर उन्हें सुधारा जाएगा।

बिंदु 4.12 निरक्षरता उन्मूलन हेतु समूचे राष्ट्र को एकजुट रहने को कहता है, खासकर 15 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए केंद्र व राज्य मिलकर कार्य करें। इसके लिए सभी वर्गों के अध्यापकों द्वारा शैक्षिक निकायों एवं शोध संस्थानों का सहयोग लेकर प्रौढ़ शिक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ ताकि उनमें साक्षरता के साथ कार्यात्मक ज्ञान और कुशलताओं का विकास हो सके। शिक्षार्थियों में सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों की समझ पैदा हो एवं परिस्थितियों को बदलने की क्षमता का विकास हो। यह सभी कार्य प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से संभव होने चाहिए। बिंदु 4.13 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए विभिन्न पद्धतियों एवं माध्यमों के उपयोग से सतत एवं व्यापक कार्यक्रम के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं—

- ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना हो।
- नियोजक एवं मजदूर संगठनों और संबंधित एजेंसियों के द्वारा श्रमिकों हेतु शिक्षा की व्यवस्था हो।
- उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा सतत शिक्षा का प्रावधान हो। पुस्तकालय प्रयोग, पुस्तक लेखन व प्रकाशन की व्यवस्था हो। जन शिक्षण और समूह शिक्षण के साधन के रूप में रेडियो, दूरदर्शन एवं फिल्में दिखाई जाएँ तथा दूर शिक्षण कार्यक्रमों का विकास हो।
- स्वाध्याय एवं स्वयं शिक्षण में सहायता मिले।
- आवश्यकता और रुचि पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हों।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समाज की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए इसे संशोधित कर कार्य योजना अर्थात् संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के नाम से प्रकाशित किया गया था, जिसके भाग पाँच में प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा को रखा गया है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जाना गया।

© NCERT not to be republished

इसमें ऐसे विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया, जो या तो स्कूल छोड़ चुके या उनके गाँव में स्कूल नहीं है, या वे स्कूल के समय अन्य कार्य करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में व्यवधान आ चुका है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं या पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई है। इन संस्थाओं को धन एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करके अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। मुक्त विश्वविद्यालय एवं ओपन स्कूल की स्थापना करके दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन हो सके।

भारत में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए कुछ प्रमुख प्रयास

1. **प्रौढ़ शिक्षा पर नीति कथन, 1977**— शिक्षा पर नीति कथन में प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता के कारण बताए गए, जैसे— निरक्षरता देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधक है। यह शिक्षा स्कूल के अलावा भी दी जा सकती है, गरीबी और अमीरी के बीच उत्पन्न भेद को मिटाने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है एवं सीखना, काम करना और जीवनयापन करना जनता के प्रमुख अधिकार हैं।
2. **राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, 1978**— प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा मिशन की अहम भूमिका है, जिसे 2 अक्तूबर, 1978 को घोषित किया गया। इसमें उन लोगों को केंद्र में रखा गया, जिनके पास भोजन न्यूनतम था और कार्य करने की ऊर्जा सामान्य थी। यह कार्यक्रम 1978 से 1979 तक चला। इसके प्रमुख लक्ष्य थे—
   - प्रौढ़ शिक्षा के लिए उचित वातावरण तैयार करना।
   - राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों हेतु प्रौढ़ शिक्षा नीति की घोषणा करना।
   - प्रौढ़ शिक्षा की योजनाएँ बनाना।
   - मूल्यांकन करना एवं साक्षरता के लिए काम करने वाली एजेंसियों की जाँच करना।
   - शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करना।
   - प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्यों में शोध या अनुसंधान केंद्र खोलना।
3. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन.एल.एम.)**— भारत सरकार द्वारा निरक्षरता उन्मूलन के उद्देश्य से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई, 1988 को प्रारंभ किया गया। जिसका लक्ष्य 1995 तक देश के 15 से 35 वर्ष आयु समूह के उत्पादक और पुनरोत्पादक आठ करोड़ निरक्षर लोगों को कार्यात्मक एवं व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करना था। इस मिशन में 1995 तक पाँच करोड़ लोगों को प्रौढ़ शिक्षा के तहत साक्षर बना दिया गया। देश के 593 जिलों में यह मिशन चलाया गया। जिससे 160 जिले संपूर्ण साक्षरता श्रेणी में आ गए। वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रावधान के रूप में केंद्र सरकार द्वारा संचालित साक्षर भारत कार्यक्रम बनाया गया। इसकी शीर्ष एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अथॉरिटी (एन.एल.एम.ए.) बनाई गई। जिसे 1988 में भारत सरकार द्वारा कैबिनेट से स्वीकृत कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी अंग के रूप में समाहित कर दिया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्य इस प्रकार हैं—

© NCERT not to be republished

- प्रौढ़ शिक्षा की नीति एवं योजनाएँ बनाना।
- नागरिकता का प्रशिक्षण देना।
- सहकारिता के कार्य करना।
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए बनाए गए कार्यक्रम, यौन शिक्षा प्रदान करना।
- अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करना।

4. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एन.एल.एम.ए.)**— प्रौढ़ शिक्षा के संवर्धन और मजबूती के लिए प्रौढ़ शिक्षा पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। अतः राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया, जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए नीति प्रबंध एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष एजेंसी है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी इकाई है। यह प्राधिकरण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यों को गति प्रदान करता है। इसकी प्रत्येक राज्य में एक इकाई है।

वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साक्षर भारत कार्यक्रम संविधान शुरू किया गया है। चूँकि, शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आती है, अतः यह कार्यक्रम केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय बनाते हुए संपूर्ण देश में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यों को क्रियान्वित करता है। इसके लिए कुछ गैर-सरकारी संस्थानों और संगठनों की मदद लेने का भी प्रावधान है।

भारत में प्रौढ़ शिक्षा का क्रियान्वयन बनाम प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

भारत में प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत काम करती है। इसकी उत्पत्ति 1956 में राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा केंद्र के रूप में हुई थी, बाद में एन.एम.ई.सी. को ही राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा विभाग का नाम दिया गया तथा 1961 में इसे राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का एक भाग बना दिया गया। बाद में भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया एवं 1971 में एक स्वतंत्र विभाग, अनौपचारिक शिक्षा निदेशालय के रूप में स्थापित किया गया जो बाद में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय कहा जाने लगा। भारत में प्रौढ़ शिक्षा की अधिकारिक घोषणा गांधीजी के जन्मदिवस 2 अक्तूबर, 1978 को की गई। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का एक उपकेंद्र है, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं—

- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करना।
- शिक्षण पठन सामग्रियाँ तैयार करने हेतु दिशानिर्देश तैयार करना।
- प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- साक्षरता अभियानों की प्रगति और स्थिति की निगरानी करना और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को नियमित सुझाव प्रदान करना।
- मीडिया सामग्री का निर्माण और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए समग्र मीडिया अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, परंपरागत और लोक मीडिया का उपयोग करना।
- सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों की सहायता से आयोजित साक्षरता अभियानों का समवर्ती और बाह्य मूल्यांकनों के आधार पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को नियमित प्रतिक्रिया देना।

© NCERT not to be republished

- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की ओर से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के घटक और प्रक्रिया के सतत सुधार के लिए सभी जिला साक्षरता समितियों, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों, राज्य संसाधन केंद्रों, जन शिक्षण संस्थानों और अन्य संस्थानों या एजेंसियों का समन्वयन, सहयोग और नेटवर्किंग।

प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता के प्रचार-प्रसार में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, शिक्षा प्रचालन में एवं निरक्षरता उन्मूलन तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के मध्य उपयुक्त साझेदारी के विकास की परिकल्पना भी की गई थी। इसके लिए सरकार ने दो अलग-अलग योजनाएँ घोषित की थीं—

1. प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की सहायता।
2. जन शिक्षण संस्थान की सहायता से गैर-सरकारी संगठनों की सहायता। इसमें प्रौढ़ शिक्षा के तकनीकी और अकादमिक संसाधन केंद्रों की स्थापना शामिल है। जबकि जन शिक्षण संस्थान व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में दोनों योजनाओं को मिलाकर 'प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी सहायता की योजना' के रूप में नामित किया गया है।

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यों में गहन भागीदारी है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं—

(i) साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

(ii) निरक्षरता के कारणों को पहचान कर उन्हें विकास के कार्यों में शामिल करना।

(iii) आर्थिक स्थिति में सुधार और आम हित के लिए कौशल अर्जित करना।

(iv) राष्ट्रीय एकीकरण, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं की समानता, छोटा परिवार मानक आदि कार्यों का समेकन।

राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम अब साक्षर भारत कार्यक्रम (एस.वी.पी.) योजना के रूप में परिवर्तित हो गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजना है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, 2009 को की गई थी। इसमें जीवनपर्यंत सीखने के अवसर प्रदान करते हुए एक अध्ययनशील समाज की कल्पना की गई है, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों, ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों तथा बालिकाओं को जोड़ते हुए साक्षरता के कार्यों का क्रियान्वयन करना है। इस कार्यक्रम के कुछ बिंदु निम्नानुसार हैं—

- लोक शिक्षा केंद्रों से संबंधित प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों तथा साक्षरता कक्षाओं का स्वयंसेवकों के माध्यम से संचालन।
- मोहल्ला कक्षा, जिनका समय एवं स्थान निरक्षरों की सुविधानुसार होगा।
- 5000 की आबादी पर एक बहुउद्देशीय सतत शिक्षा केंद्र प्रत्येक ग्राम पंचायत में हो।
- पंचायत जन सहयोग से शिक्षा केंद्रों के लिए भवन की व्यवस्था करेगी।

© NCERT not to be republished

- साक्षरता के लिए लचीली विधीय, स्वयंसेवक आधारित जन अभियान, लचीली समय-सारणी, आवासीय शिविर आदि शामिल होने चाहिए।
- त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाएँ यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद साक्षर भारत कार्यक्रम संचालन की मुख्य एजेंसी होगी।
- साक्षर भारत कार्यक्रम का समन्वय एवं पर्यवेक्षण, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- लोक शिक्षा केंद्र अपनी गतिविधियों से नवसाक्षरों को बुनियादी साक्षरता एवं कार्यात्मक साक्षरता में प्रवीण करते हुए विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएँगे। साथ ही, स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए संसाधन उपलब्ध कराएँगे।
- इसके अलावा लोक शिक्षा केंद्र में पठन-पाठन केंद्र, कौशल विकास प्रशिक्षण, पुस्तकालय, सूचना केंद्र, मनोरंजन एवं खेलकूद गतिविधियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साक्षरता केंद्रों का प्रबंधन करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बिंदु 21, प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखने पर केंद्रित है। इसमें व्यक्ति को बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना और जीविकोपार्जन का अवसर प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार बताया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के बिंदु 21.1 से 21.10 प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है, जिसमें शिक्षा के अधिकार, निरक्षर होने के नुकसान, साक्षरता मिशन 1988, प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुदृढ़ एवं सरकारी पहल विशेषकर समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुचारू एवं लाभकारी एकीकरण की बात कही गई है। बिंदु 21.5 रा.शै.अ.प्र.प. समर्थित संगठन द्वारा उत्कृष्ट प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या विकसित करने एवं बिंदु 21.6 प्रौढ़ों के आजीवन अधिगम की बात करता है। 21.10 गुणवत्तापूर्ण प्रौढ़ शिक्षा का संचालन ऑनलाइन या मिश्रित माध्यम में करने पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु सुझाव

इस लेख में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में प्रौढ़ शिक्षा के लिए की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु पाठ्यक्रम निर्माण एवं कम अवधि के डिप्लोमा कोर्सेस के माध्यम से प्रौढ़ों को शिक्षित किए जाने के सुझाव दिए गए हैं। यह सुझाव प्रौढ़ों द्वारा विविध कारणों से साक्षरता या शिक्षा न प्राप्त करने या निरंतर पढ़ाई जारी न रख पाने के करण उत्पन्न हुई कुछ स्थितियों को स्तरानुसार दर्शाते हैं, जैसे—

- ऐसे प्रौढ़ जो बिलकुल निरक्षर हैं तथा उन्होंने कभी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है।
- ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने विद्यालयी शिक्षा के किसी भी स्तर पर अपनी पढ़ाई बंद कर दी हो (शालात्यागी), वे उम्र गुजरने के बाद अब निरंतर अध्ययन करना चाहते हैं।
- अध्ययन पूर्ण करने के बाद या नियमित अध्ययन पूर्ण करने के बाद या स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के

बाद या निर्धारित उम्र सीमा गुजर जाने के बाद किसी भी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं।

उदाहरणस्वरूप प्रौढ़ निरक्षकों में पहले स्तर के प्रौढ़ों के बारे में बात करें तो इन्हें अक्षर ज्ञान एवं भाषाएँ सिखाकर स्वयं के हस्ताक्षर कराना सिखाया जाए एवं चित्रों वाली किताबों से पढ़ना सिखाया जाए। संख्यात्मक ज्ञान में शुरुआत में गिनती, जोड़ना, घटाना, भाग और भिन्न आदि सिखाया जाए। इसी प्रकार, आगे अन्य विषयों को पढ़ाकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर आकलन कर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। प्रौढ़ों की उम्र सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक होगी, अतः इन्हें सायंकालीन कक्षाओं में सेवानिवृत्त अध्यापक या शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवान एवं रुचि रखने वाले लोगों द्वारा पढ़ाया जाए।

अब द्वितीय स्तर पर आते हैं, शालात्यागी। ऐसे लोगों की शिक्षा को न तो पूरी तरह से औपचारिक और न ही अनौपचारिक बनाया जाए, बल्कि इनके मध्य की शिक्षा होनी चाहिए। जिस स्तर पर उनकी स्कूली शिक्षा छूटती है उसे आगे बढ़ाने के लिए कम अवधि अर्थात् छह माह या एक वर्ष के सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्सेस) के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर उन्हें आगे की कक्षा में नियमित अध्ययन के लिए प्रेषित किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने कक्षा 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया और दस साल बाद उसकी आगे की पढ़ाई करने की इच्छा हुई, तो उसे ब्रिज कोर्स प्रदान कर अगली कक्षा के प्रवेश योग्य बनाया जाए और जिस कक्षा में वह प्रवेश लेना चाहता है, उसका अध्ययन करवाया जाए।

तृतीय स्थान पर ऐसे लोग आते हैं, जिनकी औपचारिक शिक्षा तो पूर्ण हो गई है और वे व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। जहाँ पर ऐसे लोग व्यावसायिक शिक्षा की निर्धारित आयु सीमा में नहीं आते हैं, ऐसे प्रौढ़ लोगों के लिए कौशल विकास या कौशल विकास आधारित अल्पकालीन कोर्स (छह माह या एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्सेस) के माध्यम से उनके द्वारा चाहे गए विषय या व्यावसायिक क्षेत्र में शिक्षित किया जाना चाहिए। इस हेतु यहाँ पर कुछ डिप्लोमा कोर्सेस एवं संगत पाठ्यक्रम सुझाए गए हैं। यह कोर्सेस विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर कराए जाएँ एवं इनके संचालन के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में एक प्रौढ़ शिक्षा विभाग बनाया जाए। जिसमें शिक्षा विभाग के ही किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी अध्यापक को प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए। जो स्थानीय प्रेरकों की सहायता से कोर्स कराने वाली संस्थाओं में स्थान, समय एवं शिक्षक-प्रशिक्षकों की नियुक्ति में सहयोग करेंगे अर्थात् वे ऐसे लोगों का चयन करेंगे जो वास्तव में राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। सभी प्रकार की सुविधाओं एवं संसाधनों तथा प्रशिक्षकों एवं प्रेरकों के लिए वित्त की व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर करेगी, जिसे जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के द्वारा संगत डिप्लोमा कॉर्सेस के संचालन हेतु खर्च किया जाएगा। इसके लिए वैधानिक प्रमाण-पत्र जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर द्वारा दिए जाएँगे, किंतु इनकी निगरानी के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। इन

© NCERT not to be republished

कॉर्सेस का सतत मूल्यांकन करने हेतु राज्य सरकार के संभागीय स्तर के अधिकारी स्थानीय कलेक्टर, स्थानीय प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं संगत संस्थाओं के संचालकों एवं प्रेरकों को शामिल किया जाना चाहिए। इन कॉर्सेस के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय स्तर के लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा एवं समस्त समाज जन प्रौढ़ शिक्षा के लिए अपना योगदान दे सकेंगे। भले ही वे आंशिक रूप से प्रौढ़ शिक्षा से जुड़े हुए हों।

तालिका 1— प्रौढ़ों हेतु संभावित डिप्लोमा एवं संगत पाठ्यक्रम

क्र.सं	मुख्य विषय	उप-विषय	पाठ्यक्रम	कोर्स अवधि	कोर्स कराने वाली संस्था एवं अध्यापक	अर्हता	उपयोग
1.	बुनियादी साक्षरता	गणित, भाषा ज्ञान, विज्ञान एवं पर्यावरण	सामान्य अंक गणित का व्यावहारिक ज्ञान, स्वर, व्यंजन, पहाड़े, शब्द, पुस्तक पढ़ना, सामान्य विज्ञान एवं इनका दैनिक जीवन में उपयोग एवं पर्यावरण संबंधी ज्ञान	1 वर्ष	विद्यालयों में सायंकालीन कक्षाएँ अध्यापक अथवा रिटायर्ड अध्यापक या अन्य	निरक्षर	कक्षा 5वीं की परीक्षा देकर कक्षा छठी से नियमित विद्यार्थी की पढ़ाई या ओपन स्कूल से आगे की पढ़ाई करना
2.	कौशल विकास के विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्स	इलेक्ट्रीशियन	घर में लाइट फ़िटिंग एवं घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुधारना	6 माह कोर्स	आईटीआई या अन्य संस्थाओं में सायंकालीन प्रशिक्षण दिया जाए एवं संबंधित फैक्ट्रियों में अनुबंध किया जाए। ताकि विद्यार्थियों को प्रायोगिक ज्ञान मिले एवं फील्ड पर ले जाकर भी जानकारी दी जा सकती है।	8वीं पास	घरों एवं फैक्ट्रियों में बिजली फिटिंग एवं बिजली के उपकरणों को सुधारना
		प्लंबर	घरों में नल फिटिंग, जल का मृदुकरण	6 माह कोर्स		8वीं पास	नल कनेक्शन एवं नगरीय निकाय संस्थानों से जोड़ना

© NCERT not to be republished

		भवन निर्माण मिस्त्री	भवन निर्माण सामग्री, भवन के नक्शे एवं अन्य तकनीकी जानकारी	6 माह कोर्स		8वीं पास	बिल्डिंग निर्माण में आईटीआई के माध्यम से ठेकेदारों के साथ काम करना
		पेंटर	विभिन्न प्रकार के रंगों एवं संयोजनों की तकनीकी जानकारी	6 माह कोर्स		8वीं पास	विज्ञापन जगत एवं बिल्डिंग निर्माण में जीविकोपार्जन
		टाई एंड डाई	कपड़ों को रंगना, सुखाना, रंगों का स्थायीकरण	6 माह कोर्स		8वीं पास	वस्त्र उद्योग में जीविकोपार्जन
		फ़ोटोग्राफ़ी	कैमरे से संबंधित जानकारी, फोटो लेना सिखाना	6 माह कोर्स		8वीं पास	पत्रकारिता में फोटोग्राफी का उपयोग एवं जीविकोपार्जन
		ब्यूटी पार्लर	विभिन्न ब्यूटी टिप्स	6 माह कोर्स		8वीं पास	स्वयं का पार्लर खोलना
		सिलाई, कढ़ाई, बुनाई (हस्तकला)	विभिन्न प्रकार की कटिंग, स्टिचिंग एवं हाथ की मशीन की कढ़ाई	6 माह कोर्स	आईटीआई अध्यापक या संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि या सम्बंधित कोर्सेज के सीनियर विद्यार्थी	8वीं पास	जीविकोपार्जन के रूप में उपयोगी
		मूर्तिकला	मिट्टी से इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाना	6 माह कोर्स		8वीं पास	व्यावसायिक उपयोग एवं जीविकोपार्जन
		अन्य कलाएँ, नृत्य गायन, वादन	स्थानीय स्तर पर कलाकारों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना	6 माह कोर्स		8वीं पास	जीविकोपार्जन के रूप में उपयोगी

© NCERT not to be republished

		हेल्थ एवं हाइजीन	स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा यह कोर्स कराना	6 माह कोर्स		8वीं पास	आँगनवाड़ी, स्कूल या अन्य संस्थानों से जोड़ना
		हाउसकीपिंग	आईटीआई में हाउस कीपिंग का कोर्स चलाना	6 माह कोर्स		8 वीं पास	फैक्ट्रियों, मॉल, होटल एवं घरों में उपयोगी एवं जीविकोपार्जन
		इंटीरियर डेकोरेशन	सजावट के विभिन्न तरीके सिखाए जाएँ जो मितव्ययी हो एवं हरित रसायन का अनुसरण करें	6 माह कोर्स		8वीं पास	फैक्ट्रियों, मॉल, होटल एवं घरों में उपयोगी एवं जीविकोपार्जन
		टैक्सेशन एवं लॉग बुक निर्माण	विभिन्न प्रकार के टैक्स की जानकारी एवं लॉग बुक का निर्माण सिखाना	6 माह कोर्स	आईटीआई या स्कूलों में सायंकालीन स्थानीय अध्यापक	12वीं पास कॉमर्स या गणित	स्वयं का व्यवसाय खोलना या वकील (इनकम टैक्स) के साथ काम करना
3.	प्रौद्योगिकी	कंप्यूटर प्रचालन	कंप्यूटर, टाइपिंग, इंटरनेट, बिलिंग, विभिन्न साइट खोलना एवं इनसे संबंधित उपयोग, फॉर्म भरना टेबुलेशन इत्यादि	6 माह कोर्स	आईटीआई, सायंकालीन कक्षाएँ	10वीं पास	किसी कंप्यूटर सेंटर या साइबर कैफे पर काम एवं स्वयं का व्यवसाय, स्कूलों, कार्यालयों, दुकानों आदि पर काम करना
4.	नगर सुरक्षा एवं ट्रैफिक कंट्रोल	होमगार्ड का कोर्स	यातायात के नियम, शस्त्र संचालन, व्यायाम, दौड़	6 माह कोर्स	कोतवाली थाने पर ट्रेंड पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण	10वीं पास	भीड़-भाड़ वाले आयोजनों के समय नगर सुरक्षा में ऐसे लोगों को बुलाया जा सकता है। कंपनी या कॉलोनी में गार्ड का काम करना

© NCERT not to be republished

5.	पाक कला एवं खाद्य प्रसंस्करण		विभिन्न प्रकार के मसालों एवं खाद्य पदार्थों एवं व्यंजनों की जानकारी तथा उनका परिरक्षण सिखाना, विभिन्न प्रकार के अचार बनाना एवं पैकिंग करना, पापड़ बड़ी आदि बनाना	6 माह कोर्स	स्थानीय सरकार द्वारा चिह्नित होटलों में या अन्य केंद्रों पर प्रशिक्षण	5वीं पास	अपना स्वयं का ढाबा खोलना या टिफिन सेंटर चलाना, कैंटीन में काम, स्वयं का अचार गृह उद्योग आदि स्थापित करना
6.	कृषि संसाधन	कृषि तकनीकी	विभिन्न प्रकार की मिट्टी एवं फसलों की जानकारी, उनमें कीटनाशक छिड़काव एवं उर्वरकों का इस्तेमाल व रखरखाव, विभिन्न कृषि उपकरणों की जानकारी व उपयोग एवं बागवानी	6 माह कोर्स	कृषि शिक्षा केंद्र पर कोर्स एवं खेतों में प्रयोग	10वीं पास	स्वयं अपने खेत में कृषि तकनीकी का उपयोग करना या किराए से खेती लेकर उस पर तकनीकी के इस्तेमाल से लाभ प्राप्त करना
7.	धर्मशास्त्र	हवन, पूजन एवं वैदिक ग्रंथों का वाचन	गीता, रामायण, वेद, उपनिषद व्याख्यान आदि की पढ़ाई कराना एवं आचार-विचार में लाना तथा यज्ञ विधि का ज्ञान, विभिन्न मंत्रोच्चार एवं धार्मिक विधियाँ	6 माह कोर्स	चुनिंदा मंदिरों में जैसे इस्कॉन आदि में प्रशिक्षण, प्रशिक्षक के तौर पर वेदाचार्यों या पंडितों को जिम्मेदारी सौंपी जाना	10वीं पास	विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में मुख्य पंडितों के साथ काम करना
8.	ज्योतिष शास्त्र	ज्योतिषी	ज्योतिष विद्या ज्ञान, कुंडली निर्माण	6 माह कोर्स	सरकारी संस्थानों में स्थानीय ज्योतिष	12वीं पास	ज्योतिषाचार्य बनना, विद्यालयों में शिक्षा देना या अपना स्वयं का कार्यालय खोलना

© NCERT not to be republished

9.	योग और व्यायाम	योगाचार्य	योगाभ्यास एवं व्यायाम आदि	6 माह कोर्स	योगाचार्यों द्वारा प्रशिक्षण	12वीं पास	योगाचार्य बनना और योग सिखाना या अपना स्वयं का कार्यालय खोलना
10.	स्थानीय रीति-रिवाज	लोक कला	रीति-रिवाज, धार्मिक आयोजनों का वैज्ञानिक ज्ञान, भजन, गायन आदि	6 माह कोर्स	विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों में एवं वृद्धाश्रमों में	8वीं पास	सांस्कृतिक आयोजनों में स्थानीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना

तालिका 1 के माध्यम से समाज के लिए उपयोगी सभी विषयों को प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षार्थी हर आयु वर्ग के हो सकते हैं, अत: उन्हें उनकी रुचि एवं क्षमतानुसार विभिन्न लचीली शिक्षण विधियों के माध्यम से उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। इस हेतु स्थानीय स्तर पर वकीलों, शिक्षाविदों, दुकानदारों, डॉक्टरों, नर्सों, इंजीनियरों, अध्यापकों, शिल्पकारों, किसानों एवं घर के अनुभवी बुजुर्गों आदि से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

इस लेख में प्रौढ़ शिक्षा कल, आज और कल (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में) में आजादी के बाद प्रौढ़ शिक्षा के लिए शुरुआती प्रयास, इनका विभिन्न योजनाओं एवं शिक्षा आयोगों के माध्यम से संवर्धन एवं क्रियान्वयन, वर्तमान में प्रौढ़ शिक्षा अर्थात् राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय एवं साक्षर भारत कार्यक्रम एवं भविष्य के लिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की अनुशंसाएँ एवं उनका संभावित क्रियान्वयन शामिल किया गया है। इस लेख में संकलित जानकारी के आधार पर यह कह सकते हैं कि राष्ट्र के विकास में प्रौढ़ शिक्षा की अहम भूमिका है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण अब दूरस्थ स्थानों पर शिक्षा की पहुँच भी आसान हो गई है। अतः देश के विकास में समस्त मानव संसाधनों का समुचित उपयोग अत्यंत आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष बल देती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही समाज को जीवंत बनाया जा सकता है, इस हेतु समस्त समाज जन भी सतत शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा के संचालन हेतु अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इस योगदान में स्थानीय शिल्पकारों, कारीगरों एवं महिलाओं का भी बढ़-चढ़कर सहयोग लेना चाहिए। इसी प्रकार के सभी सम्मिलित प्रयासों से देश के समस्त नागरिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

© NCERT not to be republished

संदर्भ

अग्रवाल, जे.सी. 2012. *डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया*. शिप्रा पब्लिकेशंस, नयी दिल्ली.

डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन. https://www.education.gov.in/en/dae से प्राप्त किया गया है.

दास, बी.एन. 2004. *थ्योरीज ऑफ एजुकेशन एंड दि इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी*. डोमिनेंट पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नयी दिल्ली

शिक्षा मंत्रालय. 2021. *एडल्ट एजुकेशन*. भारत सरकार, नयी दिल्ली. 8 सितंबर, 2020 को https://www.education.gov.in/en/nlma से प्राप्त किया गया है.

स्कीम ऑफ़ सपोर्ट टू एनजीओस फॉर एडल्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. http://www.education.gov.in/en/support से प्राप्त किया गया है.

© NCERT
not to be republished